Sixteenth Loksabha

an>

Title: The Speaker made reference regarding to the 76th anniversary of the 'Quit India' movement launched on the 9th August, 1942 under the leadership of Mahatma Gandhi and paid homage to the Father of the Nation and martyrs who sacrificed their lives in the freedom struggle.

माननीय अध्यक्ष : आप सभी बैठिए। आज 9 अगस्त है।

माननीय सदस्यगण, आज 9 अगस्त है। यह तारीख हमारे देश के इतिहास में विशिष्ट स्थान रखती है। 76 वर्ष पूर्व 1942 में इसी दिन महात्मा गांधी ने "भारत छोड़ो" आन्दोलन का शंखनाद कर देश को ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए समस्त देशवासियों को एकजुट होने का आहृवान किया था।

"भारत छोड़ो" आन्दोलन हमारे स्वाधीनता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था, जिसने हमारे राष्ट्र की स्वाधीनता के स्वप्निल लक्ष्य को हासिल करने में निर्णायक योगदान दिया था।

इस अवसर पर, हम राष्ट्रपिता और उन सभी शहीदों, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी, अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिनमें महिलाएं एवं पुरुष सभी सिम्मिलत थे, उन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, समर्पित भी हो गए, उन सभी को अपनी ओर से और सभा की ओर सेआदरांजिल अर्पित करते हैं। उनके उच्च आदर्शों के प्रति हम स्वयं को पुन: समर्पित करते हैं, जिन पर वे अडिग रहे। स्वराज्य मिलने के बाद हम अपनी स्वतंत्रता, सम्प्रभुता, सुरक्षा और एकता के लिए भी आज के दिन संकल्प लेते हैं।

अब यह सभा स्वाधीनता संग्राम के शहीदों की पुण्य स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

11 03 hrs

The Members then stood in silence for a short while.

about:blank 1/19

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम): महोदया, आज आदिवासी विश्व दिवस है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Notices for Adjournment Motion and everything, in Zero Hour. खड़गे जी, मैं आपको जीरो ऑवर में मौका दूँगी।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष :आज आदिवासी दिवस है, यह मेरे ध्यान में है। जीरो ऑवर में बोलने के लिए एक-दो लोगों ने निवेदन किया है। उस विषय को भी शून्यकाल में लेंगे। अभी कुछ नहीं कहिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष :यह क्या हो रहा है? एकदम से क्या हो गया है?

...(<u>व्यवधान</u>)

11 04 hrs

At this stage, Dr. Boora Narsaiah Goud and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :आप अपना विषय जीरो ऑवर में उठाइएगा। ऐसे बीच में नहीं आते हैं।

श्री ए.पी.जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदया, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I know. Please go to your seats.

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Reddy-ji, you are always cooperative. I will allow you to speak during Zero Hour.

श्री ए.पी.जितेन्द्र रेड्डी: महोदया, हम लोग चार दिन से हर मंत्रालय में घूम रहे हैं, प्रधान मंत्री जी के पीछे घूम रहे हैं। हम राजनाथ सिंह जी के पास गए थे, रक्षा मंत्री जी के पास गए थे।...(व्यवधान)

महोदया, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। आज हम यह चाहते हैं कि जिस तरीके से कर्नाटक को दिया गया है...(व्यवधान)

about:blank 2/19

HON. SPEAKER: I will allow you during Zero Hour.

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री ए.पी.जितेन्द्र रेडडी: ऑलरेडी 210 एकड़ डिफेंस लैंड उनको दी गई है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will allow you. Please go to your seats.

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री ए.पी.जितेन्द्र रेड्डी: महोदया, हमारे साथ पक्षपात हो रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :रेड़डी जी, ऐसा नहीं होता है।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री ए.पी.जितेन्द्र रेड्डी: महोदया, हम लोग डिफेंस लैंड के सम्बन्ध में तीन साल से सरकार से आग्रह कर रहे हैं। हमने हर शर्त को माना है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am not saying no. I will allow you. Please go to your seats.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Question no. 321. Shri Rahul Shewale.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Please go to your seats. I will allow you to give the name of whosoever wants to speak. Shri A.P. Jithender Reddy, please go to your seat.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will not allow any Minister also, except the ones whose question is there. The Minister may reply after Question Hour; I have no objection.

... (Interruptions)

11 05 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

about:blank 3/19

HON. SPEAKER: Question no. 321. Shri Rahul Shewale.

(Q. 321)

SHRI RAHUL SHEWALE: Hon. Speaker Madam, the major hurdle in achieving the targets set by the Government for generation of solar power in the country by 2022 is the high cost of solar power. ... (*Interruptions*) It is believed that the per unit cost of power generated by solar plants is about Rs. 10. So, the State Electricity Boards, the largest distributors of electricity, like to buy and pay for relatively cheap conventional energy. ... (*Interruptions*) So, I would like to know from the hon. Minister as to what steps are taken to pursue these Boards to go in for large scale purchase of green energy without hurting their finances.

SHRI R.K. SINGH: Hon. Speaker Madam, the per unit price of electricity generated by solar plants has come down. ... (*Interruptions*)The prices which we have achieved are in the range of Rs. 2.44 to Rs. 2.90. So, the prices of solar power today are lower than the prices of power generated by coal and every distribution company wants to buy solar power. ... (*Interruptions*) So, that difficulty is no longer there. The price of renewable power is very competitive. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am again requesting all of you to go to your seats. I will allow you to raise your matters after Question Hour. At that time, if the Minister wants to reply, I have no objection, but not now. So, please go to your seats.

... (Interruptions)

SHRI RAHUL SHEWALE: Madam, the Government set a target to raise the solar power generation capacity of 48 gigawatts by 2019 and 100 gigawatts by 2022. On the other hand, it has been reported that the Government has downscaled its target for generation of solar power from 5,000 megawatts to 1,000 megawatts in the year 2017-18. So, I would like to know from the hon. Minister what the reasons are for such downscaling of the set targets in the year 2017 and what corrective steps are being taken to avoid such down-scale of target in future so that the target of 100 gigawatts can be achieved by 2022.

SHRI R.K. SINGH: Madam, we will achieve our target quite comfortably. The current situation is that we already have 23,000 megawatts of solar generation capacity established. Apart from that, 9,990

about:blank 4/19

megawatts of solar power are under establishment. Besides, we have bid out 23,000 megawatts of solar power which is under various stages of finalisation. So, all this totals up to 56,000 megawatts. We will achieve our targets very comfortably. In the year 2017-18, we established 9,900 megawatts. This was a record and this was much higher than in any previous year.

श्री उदय प्रताप सिंह: माननीय अध्यक्षा जी, धन्यवाद।

माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है।...(व्यवधान) पिछले दिनों सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने, ऊर्जा मंत्रालय ने जो काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं।...(व्यवधान) जो जवाब आया है, उसमें वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक राज्यवार कितना पैसा और कहां खर्च किया गया, उसकी विस्तार से जानकारी दी गयी है।... (व्यवधान)

महोदया, अगर हम आंध्र प्रदेश, गुजरात, कनार्टक और दूसरे राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो राशि है, उसे देखें तो वहां पर कम राशि खर्च की गई है या कम राशि प्रदान की गई है।...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बहुत स्कोप है।...(व्यवधान) क्या हमारी सरकार और ऊर्जा मंत्रालय आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में और राशि व्यय करेगा या वहां के लिए नए प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करेगा? ...(व्यवधान) यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री आर. के. सिंह :माननीय अध्यक्ष महोदया, पूर्ववर्ती वर्षों में जो योजनाएं लगायी गई, उनके आधार पर राशि का व्यय हो रहा है।...(व्यवधान) हमारी योजनाएं अभी भी चल रही हैं, जिसमें से 'सोलर पार्क्स स्कीम' हमारी प्रमुख योजना है।...(व्यवधान) इसके बाद हम और भी योजनाएं ला रहे हैं, जैसे 'कुसुम योजना'।...(व्यवधान) उसके अन्तर्गत अगर मध्य प्रदेश ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लगाता है तो हम मध्य प्रदेश को और राशि देंगे।...(व्यवधान) हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे।...(व्यवधान)

SHRIMATI APARUPA PODDAR: Thank you, Speaker Madam, for allowing me to ask a question.

What is the progress in solar power made by the Government of India during the long period since Independence? ... (Interruptions) The apex institutions of higher studies like IITs, IIMs and NLUs have not been covered under the ambit of generation of solar power. Regarding this aspect, the hon. Prime Minister once announced that the Government is going to make an agreement with foreign countries like Germany and other European countries for endorsing solar power. ... (Interruptions) Has it been done? If yes, how far has it been implemented and how far has it progressed? ... (Interruptions) This may be informed in the House.

SHRI R.K. SINGH: We involve the IITs and other research institutions in the work of research. ... (Interruptions) They are involved in the work of research but insofar as establishment of solar

about:blank 5/19

generation capacity is concerned, IITs are meant for educational research and not for establishment of solar generation capacity. ... (*Interruptions*)

As far as establishment of solar generation capacity is concerned, our progress is one of the fastest in the world. We have already established 23,000 megawatts capacity in solar power and 71,000 megawatts in all renewable sources; 10,000 megawatts are under establishment; and 23,000 megawatts have been bid out. ... (*Interruptions*) We propose to bid out another award of 15,000 megawatts this year. So, the rate at which we are adding capacity is not matched by any other country. ... (*Interruptions*) We are adding capacity faster than any other country.

PROF. K.V. THOMAS: Madam, Kerala has made a quantum jump in the production of solar power. At the CIAL, the Nedumbassery Airport has one of the largest solar parks in the country. ... (*Interruptions*) It is producing solar energy to meet the entire needs of the airport. My question to the hon. Minister is this. ... (*Interruptions*) What assistance will be given to similar parks in Kerala and other parks in the country, especially in the airports?

SHRI R.K. SINGH: For solar parks, we have a scheme under which we give an assistance of Rs. 20 lakh per megawatt. ... (*Interruptions*) We are giving that assistance to Kerala also for the solar parks which are under establishment in that State.

(Q. 322)

SHRI T.G. VENKATESH BABU: Thank you, Madam Speaker. ... (Interruptions)

The hon. Supreme Court said that third-party insurance of two-wheelers and four-wheelers should be made mandatory so that victims of road accidents can get compensation. ... (*Interruptions*) Besides, a Committee headed by former apex court judge Justice K.S. Radhakrishnan also recommended that at the time of sale of two-wheelers and four-wheelers third-party insurance should be mandatory for a period of five years and three years respectively, instead of one year. ... (*Interruptions*)

about:blank 6/19

The Committee also noted that around 18 crore vehicles are plying on the road and only 6 crore vehicles have third-party insurance. Hon. Supreme Court termed the deaths in accidents caused due to potholes on roads across the country as 'frightening' and said that the number of fatalities in such incidents was more than those in terror attacks.... (*Interruptions*)

In this connection, I would like to know from the hon. Minister, through you, Madam, whether the Government has taken any concrete steps on the directives of the Supreme Court on third-party insurance and also the steps taken by the Government on the accidents taking place in the country due to potholes....(Interruptions)

SHRI NITIN GADKARI: Madam Speaker, the third-party insurance is already mandatory. हमारे सम्मानीय सदस्य ने जो कहा, उसको मैन्डेटरी किया गया है।...(व्यवधान) देश में बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि हर साल पांच लाख ऐक्सिडेंट्स होते हैं और करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती हैं।...(व्यवधान) तिमलनाडु तथा तेलंगाना में भी काफी बड़े पैमाने पर ऐक्सिडेंट्स होते हैं।...(व्यवधान) इसके लिए हमने नए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट में काफी बातों का प्रोविजन किया है।...(व्यवधान) परंतु, मैडम आपको पता होगा कि आपके द्वारा पास किया हुआ जो एक्ट है, वह राज्य सभा में पिछले एक साल से अटका हुआ है।...(व्यवधान) अभी हम लोग नो-फॉल्ट लाइबिलिटी का जो कॉम्पेन्सेशन देते हैं, वह 50,000 रुपये है और हिट एंड रन केस में 25,000 रुपये है। ...(व्यवधान) हमने एम.वी. अमेंडमेंट बिल के आधार पर उस एक्ट में सुधार करके मिनिमम कॉम्पेन्सेशन पाँच लाख रुपये तथा हिट एंड रन केस के लिए दो लाख रुपये प्रपोज किया है।...(व्यवधान) हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऐक्सिडेंट्स कैसे कम हों।...(व्यवधान) ब्लैक स्पॉट्स आइडेन्टिफाइ किए गए हैं, पॉट्होल्स के लिए भी हम मेकनाइज़ड सिस्टम से कन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने की योजना तैयार कर रहे हैं।...(व्यवधान) यह एक सीवियर विषय है।...(व्यवधान) हमें रोड इन्जरी में भी सुधार करना पड़ेगा, इसके कानून में सुधार करना पड़ेगा।...(व्यवधान) ब्लैक स्पॉट्स को आइडेन्टिफाइ करके सुधार करना पड़ेगा और कानून को इम्प्लीमेंट करना होगा।...(व्यवधान) अगर वह एक्ट मंजूर हो जाएगा तो उससे आसानी होगी।...(व्यवधान) में सभी पार्टियों से बार-बार आह्वान करता हूं कि आप इसमें मदद कीजिए, क्योंकि लोगों की जान बचानी है।...(व्यवधान) अगर वह राज्य सभा में पास होगा तो बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am requesting all of you to please go back to your seats. I will allow you to speak after the Question Hour. I am not saying, 'No'. Please go back to your seats.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Do not behave like this.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am giving you five minutes time.

about:blank 7/19

The House stands adjourned to meet again at 1125 hours.

11 18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twenty-Five Minutes

past Eleven of the Clock.

11 25 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twenty-Five Minutes past

Eleven of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS- Contd.

HON. SPEAKER: Shri T.G. Venkatesh Babu, please ask your second supplementary.

SHRI T.G. VENKATESH BABU: Madam, India has only about two per cent of world's motor vehicles, but it accounts for over 12 per cent of its traffic casualty deaths, making the road network most unsafe in the world.

According to the World Road Statistics – 2015-16, brought out by the International Road Federation, Geneva, the highest number of fatalities in road accidents in the world for the year 2014-15, was reported to be in India, followed by China and USA and their numbers are far less.

The total number of persons killed in road accidents in the country during 2016 is 1,50,785 and in 2017, it was 1,47,913, as reported by police department of various States and UTs. Among road users, two-wheelers are the most vulnerable, followed by pedestrians.

Madam, through you, I would like to know from the hon. Minister whether the implementing agencies of the National Highway work or not. Do they give instructions for a regular monitoring and

about:blank 8/19

upkeeping of highways in a safe and traffic-worthy condition, as also two-wheelers and pedestrians friendly? In this regard, I would like to know the details.

श्री नितिन गडकरी: स्पीकर महोदया, रोड इंजीनियरिंग के बारे में हमारी रोड मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। 786 ब्लैक स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उन्हें इंप्रूव करने के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है। कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं कि एक-एक जगह पर 50 लोग मरे हैं। उन पर काम तेजी से हो रहा है।

दूसरा, जो हमारे रीजनल मैनेजर्स हैं, रीजनल आफिसर्स हैं, उनको यह पॉवर दी है कि जहां भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं और स्पॉट्स आइडेंटीफाई होते हैं, उनको आप तुरंत इम्प्रूव किरए। हमने बाद में एक और अच्छा निर्णय किया है। मैंने घोषित किया है और कुछ सांसदों ने इसमें काम किया है कि हमारे सांसद जिस लोक सभा क्षेत्र से आते हैं, उस जिले में उनकी अध्यक्षता में हमने एक्सीडेंट के निवारण करने के लिए एक कमेटी बनाई है। ...(व्यवधान) हमारी सरकार की ओर से इसका गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है और बहुत से सांसदों ने इसकी मीटिंग भी बुलाई है। ...(व्यवधान) आप इंट्रेस्ट नहीं लेंगे तो कैसे होगा? ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि आपके ...(व्यवधान)

सर, मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान) आप अपने कलेक्टर के पास जाकर इतना किहए कि मेरी अध्यक्षता की कमेटी को तुरन्त गठित किरए। आप उसके अध्यक्ष हैं। नोटिफिकेशन में आपको अधिकार दिया गया है। ...(व्यवधान) आप वहां कमेटी की मीटिंग बुलाइए। ...(व्यवधान) आपकी मीटिंग का काम चालू हो जाएगा।...(व्यवधान)

स्पीकर महोदया, मैं सभाग्रह को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कुछ रोड्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, कुछ शहरों के अंदर आती हैं और इस कमेटी को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे एक्सीडेंट वाले स्पॉट्स पर विजिट करे और विजिट करने के बाद कंसंनिंग एजेंसी को अपनी रिपोर्ट भेजे। उन्होंने अगर काम नहीं किया, तो उसके बारे में मुझे जानकारी भेजें, ताकि हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें, आग्रह कर सकें, क्योंकि लोगों की जान बचाना हमारी सबसे बडी प्राथमिकता है।

दूसरी बात, हेलमेट लगाना, मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी नहीं चलाना, ड्रिंक्स लेकर गाड़ी नहीं चलाना। मुझे बताते हुए संकोच हो रहा है, मैं बता चुका हूं कि 30 हजार बोगस लाइसेंसेज हैं। एक आदमी आंध्र प्रदेश में लाइसेंस लेता है, वही महाराष्ट्र में लेता है और वही गुजरात में जाकर लेता है, एक सरेंडर करता है। सम्मानित सदस्य जो कह रहे हैं, वह सही है कि पूरी दुनिया में सबसे आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस किसी देश में मिलता है, तो उसका नाम हिंदुस्तान है। सबको सुधार कर, पहले 20 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स ने हमारे मोटर व्हीकल एक्ट का ड्राफ्ट दिया, वह हमने लिया।

ज्वाइंट सलैक्शन कमेटी बनी, स्टैंडिंग कमेटी बनी। यह तो कोई पोलिटिकल सब्जैक्ट नहीं है, न ही यह बीजेपी का एजेंडा है और न ही सरकार का एजेंडा है। आप कह रहे हैं कि लोगों की जान बचानी है। इसमें सुधार करते हुए सभी पार्टियों ने युनेनिमिटी दी है, लेकिन राज्य सभा में बिल एक साल से पड़ा हुआ है। इसमें चार ऑब्जेक्शन्स आए हैं, आरटीओ अफसरों की एसोसिएशन यहां घूमती है, मुझे भी निवेदन देती है। जैसे आपने नई गाड़ी खरीदी, डीलर से गाड़ी उठाकर आरटीओ ऑफिस में लेकर जाना पड़ता है, आरटीओ से रजिस्ट्रेशन होकर फिर वापस डीलर के पास आना पड़ता है, नंबर लिखकर डिलीवरी

about:blank 9/19

मिलती है। यह काम करने के लिए आरटीओ में बहुत पैसे देने पड़ते हैं, रेट फिक्स है। हमने एक्ट में कहा कि डीलर के पास गाड़ी होगी, वहीं रिजस्ट्रेशन होगा, राज्य सरकार तय करेगी, उतना एमाउंट उसके एकाउंट में जमा हो जाएगा और नंबर वहीं लग जाएगा। इस तरह से करप्शन खत्म हो जाएगा। एक अमेंडमेंट आया है कि यह राज्य के अधिकारों पर अतिक्रमण है।

नई गाड़ी का टेक्नीकल इंस्पेक्शन होता है, अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है तो पूरा लॉट वापस लेते हैं। टेक्नीकल इंस्पेक्शन के लिए फिर आरटीओ वाला फीस लेता है। ये सब खत्म हो, करप्शन न हो, इसके लिए सुधार किया गया है। मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करता हूं, यहां माननीय सोनिया जी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि लोगों की जान बचानी है, एक्सीडेंट्स कम करने हैं। यह कोई पोलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। आप लोग ही मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड के एक्ट में सुधार करके राज्य सभा में दिया है। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है, मेरा पैर चार जगह से टूटा हुआ है इसलिए मैं इसके लिए संवेदनशील हूं। इसमें मरने वाले 18-35 साल के 65 प्रतिशत लोग हैं। जवान लोग मर रहे हैं, डेढ़ लाख लोग मर रहे हैं, कई लोगों के हाथ-पैर टूट रहे हैं। इन सबको बचाने के लिए यह एक्ट है।

मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे सपोर्ट कीजिए। मैंने माननीय डिप्टी स्पीकर जी से भी अनुरोध किया था, आप सपोर्ट कीजिए, अगर यह हो जाएगा तो आप जितनी बातें कह रहे हैं, उन्हें इम्पलीमेंट करने का अधिकार मिलेगा। हम राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं लेंगे, उनके अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपको जो चाहिए, मैं लिखित रूप में देने को तैयार हूं। आप इसमें सहयोग करेंगे, एक्ट पास होगा, आपकी पूरी समस्या सुलझाई जाएगी, यह मेरा विश्वास है।

DR. M. THAMBIDURAI : Madam, the hon. Minister has mentioned my name, that is why, I want to give a clarification.

As regards RTO, it is an organisation of the State Government. What these associations are doing, we are not concerned about it. There are so many associations. But it is an organisation of the State Government. Therefore, we cannot criticise RTOs. We cannot say that RTOs are corrupt. That is not a fact. If at all there is anything and if they are corrupt, we have to take action against them. But the dealers may also indulge in corruption. If we give the power to the private parties to register a vehicle, what will happen? We cannot control them. But an RTO is a State Government organisation. You are taking away the powers of the State. Already many powers have been taken away and you are taking away this power of the RTOs also. You are turning the State Governments into municipalities or even less than municipalities. This is what is going on.

Your idea maybe a noble idea and I appreciate your efforts. But at the same time, we will not compromise in giving the State powers to anyone. We cannot give power to register a vehicle to the private parties. It will create a bad precedent. Therefore, I would request the hon. Minister not to blame the RTOs. If the dealers go corrupt, you will not be able to control them. It is high time you did no give powers to the private dealers. Therefore, we should not give this power to the private dealers.

about:blank 10/19

श्री नितिन गडकरी: माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात बहुत स्पष्ट है कि हम राज्य सरकारों के अधिकार नहीं लेना चाहते हैं। एक चीज बहुत सिम्पल है, एक नई गाड़ी पर दस हजार, बीस हजार या तीस हजार टैक्स होता है। It is the right of the State Governments. हमारी इसमें कोई डिस्क्रीशन नहीं है। उस गाड़ी पर जो भी टैक्स होगा, डीलर वही टैक्स उनके एकाउंट में जमा कर देगा। हम उनकी कोई पावर नहीं ले रहे हैं। प्रेजेंट लॉ है कि गाड़ी को आरटीओ आफिस में ले जाना पड़ता, आरटीओ को टैक्स भरना पड़ता है, फिर वह नंबर देता है, गाड़ी वापस आती है और फिर डिलीवरी मिलती है। आरटीओ अफसर ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट हैं, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। इस पर मेरे सामने सांसदों की तकरार आई, उन्होंने कहा है कि गाड़ी की रिजस्ट्रेशन की फीस आरटीओ आफिस में जितनी होती है, उतनी देनी पड़ती है। मैं आरटीओ अफसरों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मुझे इस प्रकार के अनेक राज्यों ने पत्र दिए हैं कि यह ठीक नहीं है, आप इसे ट्रांसपेरेंट कीजिए।

माननीय अध्यक्ष जी, कितना टैक्स लेना है, बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इसका कोई अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है, यह राज्य सरकार के पास है। हमारे एकाउंट में कोई पैसा नहीं आएगा, हम कुछ नहीं ले रहे हैं। अगर कर्नाटक सरकार कहती है, इस मॉडल पर 10,000 रुपये टैक्स लेना है, 15,000 रुपये लेना तो ले सकते हैं। बैंक में जो डिपोजिट करना है, उतना टैक्स उनके एकाउंट में जमा करना होता है। अब गाड़ी लेना, लेकर जाना और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता है। इस प्रकार की मेरे पास लोगों की तकरार आई कि हर बार फीस लगती है, इसके कारण भ्रष्टाचार होता है, नहीं होना चाहिए।

आप मुझे बताएं कि हमने राज्य सरकार का इसमें कौन सा अधिकार छीना है? मुझे नहीं पता कि किस राज्य में किसका क्या अनुभव है। मैं खुले रूप से कहता हूं कि अगर आप सब पार्टियों को लगता है कि आरटीओ अफसर ईमानदार है और राज्य सरकार का अधिकार है, यह होना चाहिए तो मुझे कोई अड़चन नहीं है, हम उसके साथ चले जाएंगे। आप लोगों ने ही इस तकलीफ के लिए मुझे पत्र भेजे हैं, आप बताएं कि क्या करना चाहिए?

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Madam Speaker, this is a question of pothole fatalities. We had a short discussion on RTO and all. Thank you for that.

My question to the hon. Minister is this. Last year in all the terrorist and naxal attacks, the security personnel and civilians who have died was 803. In pothole fatalities it is 3597. My pointed question to the hon. Minister is whether the Government has framed any guidelines for standardised road construction and maintenance. Has the Government reviewed any quality of terms in proportion of the material that has to be used, thickness of road, its sustainability? What action has the Ministry taken against all these contractors who are responsible for creating such roads which have led to the loss of 3597 human lives? I would like know from the hon. Minister whether these officials would be booked for culpable homicide not amounting to murder under IPC. It is because the fatalities are 3597.

This is under the domain of this Ministry. At least with regard to construction of roads in the National Highways, the Government can bring in this provision. Has the Government taken any action

about:blank 11/19

against the contractors? Has the Government reviewed the quality and thickness of road? Why do only in monsoon people die? This is a question related to the lives of the people of the nation and the hon. Minister should answer this.

श्री नितिन गडकरी: माननीय अध्यक्ष, 3500 के लगभग नेशनल हाईवे की फैटेलिटीज़ नहीं हैं। The issue of Pothole fatality is related to the State roads, district roads, urban roads, different types of roads and for that different agencies are responsible. यह कुछ राज्य सरकारों के साथ हैं और नेशनल हाईवे की बहुत छोटी संख्या है। आपको पता होगा कि अब हम सीमेंट कन्क्रीट के रोड बना रहे हैं। आप दिल्ली के रिंग रोड पर जाइए, यह नया बना है। सीमेन्ट कन्क्रीट के रोड के ऐसे डिजाइन तैयार किए हैं जिसमें कोई पोटहोल नहीं है। रोड बहुत अच्छे हैं। बिटुमेन के रोड में पोटहोल आते हैं, रोड खराब होता है इसीलिए हमने कन्क्रीट रोड बनाने का निर्णय किया है। पुराने रोड्स के साथ यह प्राब्लम है, इसलिए हम नेशनल हाईवे के पास पुरानी स्ट्रैंथ को धीरे-धीरे कन्क्रीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे यहां पुराने बिटुमेन रोड्स हैं। इसमें जो कांट्रेक्टर काम करता है, उसका डिफेक्ट लाएबिलिटी का पीरियड पांच साल होता है। उसकी पांच साल बैंक गारंटी हमारे पास होती है, उसे पूरा मेन्टेन करना होता है। अगर आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है, जहां पांच साल की डिफेक्ट लाएबिलिटी है, जहां पोटहोल हैं और सुधार नहीं किया गया, तो मुझे बताएं।

मेरे पास बहुत से एमपीज़ आए और कहने लगे कि इन रोड्स को एनएच बना दो। अब ट्रैफिक डैन्सिटी बढ़ रही है, मैंने रोड्स को एनएच बनाया। एनएच बनाने के बाद राज्य सरकार हमसे मेन्टेनेंस मांगती है और प्रोजेक्ट शुरु करने के लिए तीन-चार साल लगते हैं। इसलिए हमने इसे प्रिंसिपल एनएच के रूप में स्वीकार किया और डीपीआर बनाने के आदेश दिए। हम मेन्टेनेंस कॉस्ट नहीं दे सकते, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जब तक एनएच जाहिर नहीं होता, तब तक वे मेन्टेन करें। प्रिंसिपल एनएच में हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है, अगर एनएच जाहिर करते हैं तो हमारी होती है। फिर भी हमने आउट ऑफ द वे जाकर सब राज्यों के मेन्टेनेंस के लिए 200, 300, 500 करोड़ रुपए दिए। इसमें अच्छा सॉल्युशन आया है, आजकल टेक्नोलॉजी बदली है, हॉट बिटुमेन के बजाय कोल्ड के लिए ट्रक मोल्डिड मशीनें आई हैं। 200, 300 किलोमीटर के लिए बेरोजगार इंजीनियर्स पांच साल मेन्टेन करने के लिए हों, अगर इसमें पोटहोल निकलेंगे तो उनका पैसा कम होगा, हमने इस आधार पर योजना तैयार की है।

उसमें मेकनिज्म इक्यूपमेंट का उपयोग करके हम लोग टार रोड को सुधारने की कोशिश करेंगे, पर मेरा अधिकार केवल नेशनल हाइवे तक है। स्टेट हाइवे, डिस्ट्रिक्ट हाइवे, बाद में हैदराबाद सिटी के रोड या जो दूसरे म्यूनिसिपल रोड हैं, मैं सबके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी अध्यक्षता में आपके जिले में जो कमेटी बनाई जाएगी, वह उसकी मॉनिटरिंग करके, उनके साथ बातचीत करके इसको रोकने का प्रयास कर सकती है।

माननीय अध्यक्ष: इस प्रश्न पर बहुत डिटेल में बात हो गयी। धर्म वीर जी आप थोड़ा छोटा प्रश्न पूछें।

श्री धर्म वीर गांधी: अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि देश में 70 लाख की जनसंख्या वाले ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों का एक ऐसा वर्ग है, जो हमारे देश के सड़क की ढुलाई और हमारे देश के पर्यटन के लिए रीढ़ की हड्डी है। यह एक ऐसा वंचित वर्ग है कि जब हम किसी बस में जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, मौत हो जाती है, तो सरकार की तरफ

about:blank 12/19

से उनको सहायता करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वे बेचारे परिवार के सहारे छोड़ दिये जाते हैं। मैं मंत्री जी से विनती करता हूं कि जो ट्रक और टैक्सी ड्राइवर हैं, उनके पेंशन या काम्पंसेशन का प्रावधान किया जाए, जिससे देश की 70 लाख आबादी को फायदा मिल सके।

मैं एक बात इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के बारे में कहना चाहता हूं। जब कहीं सड़क जाम होता है या जहां टोल प्लाजा है, वहां से सबसे पहले एम्बूलेंस निकलती है, लेकिन हमारे देश में, हम देखते हैं कि एम्बूलेंसज़ के लिए कोई सड़क नहीं छोड़ता, कोई टोल प्लाजा खाली नहीं होता। आप अमेरिका या कनाडा कहीं भी जाएं, वहां सारी ट्रैफिक एक साइड हो जाती है। हमारे यहां एम्बूलेंस दो-दो घंटे तक गंभीर मरीजों को लेकर सड़कों पर खड़ी रहती हैं, कोइ रास्ता नहीं देता है, न टोल प्लाजा और न ही आम नगरिक इसकी परवाह करते हैं। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए कि जब कभी एम्बूलेंस आए तो सारा ट्रिफिक एक साइड खड़ा हो जाए और एम्बूलेंस को निकलने दें।

श्री नितिन गडकरी: अध्यक्ष महोदया, एम्बूलेंस को प्राइऑरिटी तो मिलती है, हार्न बजने पर लोग तुरंत साइड दे देते हैं, लेकिन जितना विदेशों में अच्छा है, उतना हमारे यहां नहीं है। हम उसको अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं।

अभी ट्रक ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हुई थी, आपको पता होगा कि दस टन की कैपिसिटी के ट्रक के लिए, पहले लोग ज्यादा भरते थे और फिर वसूली होती थी। मैं किसी आर.टी.ओ. पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। हमने कहा कि 10 टन के ट्रक में साढ़े बारह टन का माल ले जा सकते हैं। हमने मैन्युफैक्चिरंग कंपनी से बात करके वर्जन बढ़ा दिया, फिर 16 तथा 40 टन का भी बढ़ा दिया, तािक उसका फायदा ट्रक वाले को मिल सकेगा।

दूसरा, हम लोग कंक्रीट रोड बना रहे हैं, सिम्बलेस टोल नाका कर रहे हैं। छह महीने में करने के लिए हमने उनको आश्वास्त किया है। ड्राइवर और को-वर्कर के लिए ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो अभी स्ट्राइक हुई थी, वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी ने चर्चा करके इसके बारे में एक योजना बनाने का निर्णय किया है और योजना के बारे में मुझसे डिस्कस किया है। ड्राइवर के एक्सीडेंट होने के बाद, उनको क्या रिलीफ मिले, उसकी घोषणा वे उचित समय पर करेंगे। ड्राइवर के अधिकारों की, उनके मेडिकल इंश्योरेंस, उनके कम्पेंशेसन का विचार हम आने वाले समय में निश्चित रूप से करेंगे।

SHRI VINCENT H. PALA: Madam, in a State like Meghalaya, there is heaviest rainfall in the world and thus potholes are very common. In the last four to five months, there is heavy rainfall in the North-East, especially in the State of Meghalaya. So, the highways become a canal and it becomes difficult to drive also. What action will the hon. Minister take against the contractor or the consultant who has made the road with a faulty design and fix the responsibility on them?

श्री नितिन गडकरी: यह प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं है और इसकी पूरी इन्क्वायरी हुई है। मेघालय और नार्थ ईस्ट में ऐसी स्थिति है कि वहां काफी स्कोप है, लेकिन वहां पहाड़ गिर जाते हैं। उसके लिए अभी कोई सोलूशन नहीं मिले हैं, फॉरेन कंसल्टेंट भी लाए गए, सॉइल एस्टैबलिश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, कंक्रीट का पेवमेंट करनी की भी कोशिश की गई, लेकिन फिर से अड़चनें आई हैं। नागालैंड और मेघालय में इस प्रकार के प्राब्लम हैं, पर इसके लिए इन्क्वायरी भी हुई है। स्पेन और दूसरी

about:blank 13/19

जगह से फॉरेन कंसलटेंट्स की सलाह लेकर पहाड़ काटे गये हैं, जिससे खर्च भी बहुत बढ़ गया है, फिर भी मार्ग ढूंढ़ने का प्रयास किया जा रहा है।

(Q. 323)

श्री सदाशिव लोखंडे: अध्यक्ष महोदया, मुझे खुशी है कि जब से आदरणीय श्री नितिन गडकरी मंत्री बने, महाराष्ट्र में जो डैम्स के प्रोजेक्ट्स थे, उनको मंजूरी दी गई थी। 108 में से 91 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। मेरे संसदीय क्षेत्र शिर्डी में 182 गांव हैं। वहां के प्रोजेक्ट को 47 साल पहले मंजूरी मिली थी और उस समय उसका खर्च सात करोड़ रुपये होना था। आज केन्द्रीय जल आयोग ने उसके लिए 2223 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। शिर्डी में साई बाबा के दर्शन के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं। वहां अगल-बगल के गांवों में पीने के लिए पानी नहीं है और खेती के लिए पानी है, इसलिए उन 182 गांवों के लिए पानी का प्रबंध करने के लिए, इस शताब्दी वर्ष में, मेरा गडकरी साहब से निवेदन है कि आप एक महाराष्ट्री हैं, महाराष्ट्र के 108 प्रकल्पों को आपने मंजूरी दी है। वहां कैनाल बनाने के लिए मंजूरी दी गई है, उस पर तुरंत काम शुरू करना चाहिए। मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी एक प्रश्न पूछिए, बाद में दूसरा प्रश्न पूछना।

श्री सदाशिव लोखंडे: अध्यक्ष महोदया, अकोला तालुका में 128 किलोमीटर जमीन के लिए सरकार ने किसानों को पैसा दिया, वह जमीन सरकार के नाम दर्ज हो गई है, लेकिन वहां पर काम चालू नहीं हुआ। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सिंचाई के लिए जो काम किए गए हैं, महाराष्ट्र सरकार ने 108 प्रकल्प भेजे थे, इनकी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत तुरंत मंजूरी कराने के लिए क्या मंत्री जी कोशिश करेंगे? यही मेरा पहला प्रश्न है।

श्री नितिन गडकरी: अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र सरकार ने 108 प्रकल्प भेजे थे, जिनमें प्रवरा-निवंडे प्रकल्प भी था। टेक्नो-इकोनॉमिकल एडवाइजरी कमेटी में इसका एप्रूवल नहीं मिला था। 108 में से 91 प्रोजेक्ट्स ही कैबिनेट के पास गए और उनको मंजूरी मिली। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह सही है, वहां भी समस्या है और मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखकर कहा है, लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं है। आपके आग्रह पर मैं इन प्रोजेक्ट्स को लेकर, फिर एक बार कैबिनेट में जाकर स्वीकृति लेने के लिए जरूर प्रयास करूंगा। वहां से स्वीकृति मिलेगी, तभी यह काम हो पाएगा।

दूसरी बात, वहां जो कैनाल बनानी है, इसमें इनके जिले में बहुत झगड़े हैं। एक पार्टी कहती है कि अंडर ग्राउण्ड पाइप डालिए और दूसरी पार्टी कहती है कि कैनाल बनाएं। इनका कहना सही है। कल मुझे एनसीपी के नेता भी मिले थे, उन्होंने मुझसे कहा कि वहां पाइपलाइन डालिए। फिर कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि वहां कैनाल बनाओ। अब मैंने इसके बारे में एक निर्णय किया है कि महाराष्ट्र सरकार को अधिकार दिए गए हैं। वहां लैण्ड एक्वीजिशन हुई है, अब महाराष्ट्र सरकार चाहे तो लैण्ड एक्वीजिशन करके कैनाल बनाएया वहां पाइपलाइन डाले। जो करना है, वह महाराष्ट्र सरकार निर्णय करे। इसके बारे में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश देने का काम मैं करूंगा और निर्णय महाराष्ट्र सरकार करे।

about:blank 14/19

श्री सदाशिव लोखंडे: अध्यक्ष महोदया, मेरा सवाल यही है कि 128 किलोमीटर का भूसंपादन हुआ और सरकार का नाम भी उसके ऊपर लिखा गया। वहां 45 साल हो गए, उन 182 गांवों के लोग पानी की राह देख रहे हैं। गडकरी साहब के आने से लोगों में एक आशा पल्लवित हो गई कि हमारे अच्छे दिन अब आएंगे। अभी हमारे क्षेत्र में अच्छे दिन आने के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्रोजेक्ट को लेकर, वहां काम शुरू करें। यह बाबा का 'शताब्दी वर्ष' है, इसलिए उसके लिए खास प्रकल्प मंजुर करके, एक-डेढ़ साल में ही किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या मंत्री जी प्रयत्न करेंगे ? मेरे क्षेत्र में यह बाबा का 'शताब्दी वर्ष' है, 'शताब्दी वर्ष' में खास बात करके, कैनाल के द्वारा लोगों को पानी दिलाने के लिए क्या मंत्री महोदय प्रयत्न करेंगे ?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न के प्रति बहुत सिंसियर हैं, वहां पीड़ित हो गए तो प्रश्न पूछने के लिए दूसरी सीट पर चले गए।

श्री नितिन गडकरी: अध्यक्ष महोदया, मैं उस क्षेत्र के माननीय सदस्य का सम्मान करता हूं। यह बात सही है कि वहां लैण्ड एक्वीजिशन हुआ है, सरकार के नाम पर जमीन दर्ज हुई है, इसलिए वहां कैनाल बन सकती है और अब पाइपलाइन डालने की आवश्यकता नहीं है। आज उन्होंने बाबा के आर्शीवाद की बात कही है तो मुझे भी आर्शीवाद मिलेगा। मैं आज यह निर्णय जाहिर करता हूं कि जो जगह एक्वायर की गई है, वहां तुरंत कैनाल बनाने का काम शुरू करके, इनकी मांग को पूरा किया जाए और इनको पानी दिलाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : आपको मिल गया।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, Shri Sanjay Kaka Patil.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Have you got the answer?

श्री संजय काका पाटील: अध्यक्ष महोदया, मेरा एक प्रश्न है। गडकरी साहब ने कहा है कि बलिराजा जल संजीवनी योजना अंतर्गत 108 प्रकल्प आए थे, उनमें से 91 स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसके लिए गडकरी साहब ने और मंत्रिमंडल ने 16551 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। उसमें कई प्रकल्प ऐसे हैं, जो अकाल में काम करने वाली लिफ्ट इरीगेशन स्कीम अभी बची है। टेक्निकल सैंक्शन का प्रपोजल आया था, लेकिन टेक्निकल सैंक्शन की वजह से वह सीडब्ल्यूसी के यहां पड़ा है। ऐसी कई स्कीम्स हैं, गडकरी साहब ने जिन 91 प्रकल्पों को मंजूरी दी है।

उसमें सातारा जिले की स्कीम है और शोलापुर की भी एक स्कीम है, वह भी डालनी चाहिए। मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूं।

about:blank 15/19

श्री नितिन गडकरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, 108 प्रकल्पों की लिस्ट महाराष्ट्र सरकार से आई थी। यह एक टैक्निकल प्रॉबल्म है। जैसे बताया गया है कि उसमें करीब 17 प्रकल्प रह गये हैं, इन 17 प्रकल्पों के बारे में मुख्य मंत्री जी ने फिर से मेरे पास मांग भेजी है और माननीय सदस्य ने भी मांग की है। अब यह मेरे हाथ में नहीं है कि उनको कैबिनेट एप्रूवल नहीं मिला था, परंतु उन 17 प्रकल्पों के लिए फिर से कैबिनेट नोट तैयार करके मैं कैबिनेट के पास जाऊंगा और उनके लिए अनुमित लेने की कोशिश करूंगा।

श्री मोहम्मद सलीम: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि Teesta Project is a classic example of incomplete irrigation project and it is of national importance, जब इसी सदन में लड़कर तीस्ता प्रोजेक्ट को हमने नेशनल प्रोजेक्ट के अंदर करवाया था। आज सवाल के जवाब में, पोलावरम के बारे में आपने बताया कि एक नेशनल प्रोजेक्ट लिया गया है, लेकिन तीस्ता के बारे में सरकार बिल्कुल साइलेंट है। भाखड़ा नांगल एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जो उत्तर बंगाल, उत्तर बिहार तक के लिए थी। यह अन्तर्राष्ट्रीय नदी है। भूटान से लेकर बंग्लादेश तक जाती है। मैं समझता हूं कि खामोशी से इसको आपने क्लोज कर दिया है। एक राष्ट्रीय और महत्वाकांक्षी परियोजना को आज क्यों बंद कर दिया गया है? हजारों एकड़ जमीन किसानों से ली गई थी और खेती के लिए तथा बाढ़ रोकने के लिए यह एक बड़ी परियोजना थी। लेकिन सरकार इस बारे में बिल्कुल खामोश है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण दे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :अब हो गया। अभी वह जवाब दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, जब पोलावरम के बारे में पार्लियामेंट में आन्ध्र और तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ, तब पार्लियामेंट में आन्ध्र और तेलंगाना के बीच में जो बिल पास हुआ, उसके आधार पर पोलावरम को राष्ट्रीय प्रकल्प के रूप में लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद यह बात तय हुई है कि इसके बाद भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय प्रकल्पों की कोई घोषणा नहीं होगी। हमारी जो स्कीम है, उसमें कुछ जगह पर हमने हिल एरियाज के लिए, जैसे नॉर्थ-ईस्ट और हिल स्टेट के लिए नब्बे प्रतिशत पैसा हम देते हैं और दस प्रतिशत राज्य सरकार देती है। एआईबीपी के ऐसे 9 प्रोजेक्ट हैं। ड्रॉट-प्रोन एरिया में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार देती है और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। ...(व्यवधान) आपको अगर जवाब चाहिए तो मैं बताना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार इरीगेशन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेअर करने के बाद जो पॉलिसी थी, वह अभी अस्तित्व में नहीं है। अगर आपको करना है तो इसी प्रप्रोर्शन में आएगा। लेकिन अब राष्ट्रीय प्रकल्पों की घोषणा नहीं हो सकती।

SHRI G. HARI: Madam Speaker, I would like to know from the hon. Minister about the status of proposals submitted by the Government of Tamil Nadu, particularly the Grand Anicut Irrigation Project, Cauvery-Gundar Scheme, Athikkadavu-Avinashi Irrigation Scheme and also the steps taken by the Government to stop construction of new dam projects in Andhra Pradesh and Karnataka.

about:blank 16/19

SHRI NITIN GADKARI: Madam, I do not have information relating to all these projects. There are 360 projects in the country and this question is related to a specific project. So, I will get the information and give it to the hon. Member.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :माननीय अध्यक्ष महोदया, सवाल यह है कि दस साल से अधिक पुराने कौन से इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ दिलाना चाहूंगा जो 36 साल पहले शुरू हुआ था। जब पंजाब हिरयाणा का बंटवारा हुआ, हिरयाणा को उसके हक का पानी दिलाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 8 अप्रैल 1982 को कर्पूरी पटियाला में सतलुज-यमुना लिंक कैनाल का प्रोजेक्ट रखा था। उसके बाद पहले अकाली दल ने विरोध किया। राजीव गांधी जी ने उसमें नेतृत्व दिखाते हुए, राजीव-लोंगोवाल अकार्ड के माध्यम से हिरयाणा वासियों के लिए उसका समाधान किया, जिसमें पंजाब की भी सहमति थी। मगर फिर इंडियन नेशनल लोक दल ने उसका विरोध किया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :महोदया, उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने राजीव-लोंगोवाल अकार्ड को आधार मानकर अपना फैसला सुनाया है। ...(व्यवधान) मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि कब तक इस फैसले पर अमल होगा? यह हिरयाणा का हिस्सा बन चुका है। पंजाब का हिस्सा कब तक बनेगा और कौन सी एजेंसी इस पंजाब के हिस्से को बनाने का काम करेगी?

श्री नितिन गडकरी: मैडम, अभी भी यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में सबज्यूडिस है।...(व्यवधान) पंजाब की सरकार ने बहुत सी बातें सुप्रीम कोर्ट में कहीं हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है, इस पर यहां बोलना उचित नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री निहाल चन्द: माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान में लिम्बत परियोजना में एक बहुत बड़ा सहयोग दिया है। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश को पानी नहीं मिल रहा है। दूसरे, इसमें राजस्थान प्रदेश का आज तक कोई सदस्य नामित नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राजस्थान के सात ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जिनकी डीपीआर सीडब्ल्यूसी ने क्लिअर कर दी है, उसका जो पहले सीआईटी नाम था, उसका नाम बदलकर एसबी रख दिया है। माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है। में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सात प्रोजेक्ट्स जिनकी कीमत 4423 करोड़ रुपये है, यह राशि सरकार कब तक जारी करेगी?

श्री नितन गडकरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार आने के पहले भारत सरकार से कोई पैसा ही नहीं मिलता था। यह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच है कि उन्होंने हमारी सरकार आने के बाद प्रधान मंत्री सिंचाई योजना बनाई। इस योजना में 99 प्रोजेक्ट्स लिये। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एआरडीपी में ...(व्यवधान) मैं बताना चाहता हूं, पुराने समय में ढ़ाई हजार करोड़ रुपये नहीं मिलते थे। अभी हमने 11800 करोड़ रुपये दिये हैं। 99 प्रोजेक्ट्स में से हमने लगभग 17 प्रोजेक्ट्स पूरे किये हैं और आने वाले मार्च तक करीब 47 प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे। मैं सदन बताना देना चाहता हूं कि केवल इसके कारण राज्य सरकार का पचास प्रतिशत से ज्यादा काम हुआ था, उसके प्रोजेक्ट बंद पड़े थे और महाराष्ट्र में 10-10,

about:blank 17/19

12-12 साल से प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं। ये यहां बैठे हुए हैं, इनसे पूछिये। वे प्रोजेक्ट्स इसमें लिये हैं और उसके लिए नाबार्ड से कर्जा दे रहे हैं। हम पैसा दे रहे हैं। पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने राज्य सरकार की जिम्मेदारी होने के बाद भी प्रधान मंत्री सिंचाई योजना लाकर राजस्थान में भी ये प्रोजेक्ट्स लिये हैं। यह योजना कैबिनेट में भेज रहे हैं। हम लोग इस पर जरूर विचार करेंगे। ईएफसी का एप्रूवल इसको मिला है। 30000 करोड़ रुपये की यह योजना है, जिसमें कैबिनेट का एप्रूवल होने के बाद हम लोग जरूर इसके बारे में विचार करेंगे।

(Q. 324)

श्री जुगल किशोर: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बेसिक सुविधाएं जो भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए, उस पर केन्द्र सरकार कार्यरत है। मैं इस प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए पीने का पानी उपबल्ध कराया जाए। इसके लिए एक बड़ी स्कीम थी। जम्मू शहर के साथ एक दरिया चेनाब बहता है, वहां से पानी लेकर जम्मू शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों को दिया जाए। इसके लिए एक योजना बनी थी। वह योजना जम्मू-कश्मीर सरकार ने केन्द्र सरकार के पास भेजी है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस योजना को कब तक स्वीकृति मिलेगी और जम्मू जो कई सालों से पीने के पानी से वंचित है, जम्मू शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों को कब तक पीने का पानी उपलब्ध होगा?

श्री राम कृपाल यादव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि इन्होंने जम्मू के शहरी इलाकों और जम्मू से जुड़े हुए ग्रामीण इलाकों के संदर्भ में पीने के पानी की आपूर्ति की चिन्ता की है। मैं संतोष के साथ माननीय सदस्य को कह सकता हूं कि अभी जो जम्मू जिले की वास्तविक स्थिति है, उसमें कुल बसावट 1049 है, जिसमें पूर्ण रूप से बसावट जो कवर हो रही है, वह प्रतिशत 73.66 है। कुल मिलाकर बसावटों की संख्या 777 है और जो आंशिक रूप से पानी की सप्लाई हम ग्रामीण इलाकों में कर रहे हैं, वह 26.54 प्रतिशत है। यानी कुल मिलाकर 262 बसावटों को हम आंशिक रूप से जल की सप्लाई कर रहे हैं।

12 00 hrs

हम उसी तरह से शहरी इलाकों में भी पानी की सप्लाई कर रहे हैं। हम एडीबी स्कीम के माध्यम से, कुल मिला कर पांच स्कीम्स के माध्यम से योजना चला रहे हैं। उनके लिए 180 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। एक-दो योजनाओं को छोड़ कर लगभग सभी योजनाएं पूरी होने की स्थिति में हैं। मैं समझता हूं कि वहां पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय सदस्य ने नई स्कीम के संबंध में जो चिंता व्यक्त की है, उसका जवाब उनको दे दिया गया है। प्रश्न के जवाब में यह बताया गया है कि वहां शहरी इलाके में पानी की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो, उसके लिए चिनाब नदी से संबंधित एक योजना की स्वीकृति के संदर्भ में माननीय सदस्य ने चिंता जताई है। मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार के माध्यम से चिनाब नदी से

about:blank 18/19

भविष्य के लिए जलापूर्ति हो, राज्य सरकार का वह प्रस्ताव भारत सरकार के पास 01 फरवरी को आया था, कुल मिला कर उसके लिए 624 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। शहरी मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। एक विदेशी संस्था 'जैका' है, जिसके माध्यम से लोन के रूप में पैसे दिए जाते हैं। केन्द्र सरकार ने प्रॉसेस करके 'जैका' को 02,अगस्त को प्रस्ताव दे दिया है। 'जैका' उस पर आगे की कार्रवाई कर रही है। निकट भविष्य में चिनाब नदी से पानी की आपूर्ति हो, हम लोगों ने उसके लिए 'जैका' से निवेदन किया है कि इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई करके जम्मू के शहरी इलाकों में पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति के लिए व्यवस्था करे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहती हूं। आप सूचना सुनिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

about:blank 19/19